

कार्यालय अंचल अधिकारी, नामकुम, राँची

सुन्दर कसिक
कमल कसिक

अनुसूची 14-फारम सं0 562

आदेश - पत्रक
(अभिलेख हस्तक, 1941 का नियम 129)

आदेश पत्रक- ता0.....से.....तक

जिला.- राँची | वाद सं0 - 16/1612

केस का प्रकार - सिविल

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आवेदक और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी तारीख सहित												
06/11/16	<p>यह वाद सुन्दर कसिक पिता स्व. कागु कसिक, गा+पो - राजा उलाठू आना नामकुम जिला- राँची के आवेदन पर प्रारम्भ किया गया। आवेदक द्वारा अपने आवेदन में उल्लेख किया गया कि उनकी जमीन मीजा- उलाठू आना न- 339, खामान- 195</p> <table border="1" data-bbox="422 1142 1299 1276"> <tr> <td>घाट</td> <td>1205</td> <td>1644</td> <td>1645</td> <td>1834</td> <td>1953</td> </tr> <tr> <td>रकबा</td> <td>69 बी.</td> <td>2 बी.</td> <td>9 बी.</td> <td>56 बी.</td> <td>95 बी.</td> </tr> </table> <p>1954 बी. रकबा - 92 बी. आमलाइन (गैट) 85 में चढ़ा हुआ है जबकि फुल रकबा 246 एकड़ होना है आवेदक द्वारा अनुरोध किया गया है कि इसकी पुविष्टी पेजी II में करी डुर लगान रखी जायत किया जाए। उक्त आवेदन के आसपास से आंशिक हठ करों से जंच्य प्रविदन की मांग करी।</p> <p>अभिलेख क्रिक 16/12/16 जोरखे।</p> <p>का. उ. नामकुम</p>	घाट	1205	1644	1645	1834	1953	रकबा	69 बी.	2 बी.	9 बी.	56 बी.	95 बी.	
घाट	1205	1644	1645	1834	1953									
रकबा	69 बी.	2 बी.	9 बी.	56 बी.	95 बी.									

16/1/16

अभिलेख अपख्यापित। हं करों का
 जंच उत्सवदा प्रप्त है। इनके द्वारा
 प्रविष्टित किया गया है कि उक्त भूखे
 के प्रकृष्टि पंजी II में शैत 4-एण्ट
 दर्शाया गया है जबकि नेट कापी में
 4-एण्ट शैत दर्शाया गया है। दोनों
 जगह के नामों में फलतः एवं रकवा
 अलग-अलग दर्शाया गया है। जो
 विभिन्नता है तथा विभिन्नता से संबंधित
 शैतों को आण सुनिश्चित करें।
 दिनांक 16.1.16 अ रखे।

1602/11
16.12.16

16/1/16

क. क. नामदार

16.1.16

अभिलेख अपख्यापित। प्र. पत्र अनुपस्थित।
 द्वितीय पत्र में दृश्य जायजम एवं दूरका
 के का ओर में धारिणी दखिल कर
 गया। तथा साथ ही जितेन्द्र के का पत्रा-
 शैत के का एवं दृश्य के का ओर से
 असेन के साथ अन्य कायम दखिल
 किया गया।


06.02.2023

अभिलेख आज उपस्थापित। अभिलेख का अवलोकन किया। उभय पक्ष लम्बे समय से लगातार अनुपस्थित है। इससे प्रतीत होता है कि इन्हें इस वाद में कोई अभिरुचि नहीं है।

उप समाहर्ता भूमि सुधार सदर, राँची के ज्ञापांक 254(ii) दिनांक 19.01.23 द्वारा संयुक्त सचिव, राजस्व पर्षद, झारखण्ड, राँची का ज्ञापांक 1175/रा.प. दिनांक 24.11.2022 प्राप्त है, जिसमें विविध आवेदन/अपील/रिवीजन को entertain नहीं करने का निदेश दिया गया है। यह विविध वाद से संबंधित है।

अतः उक्त आलोक में इस वाद की कार्यवाही समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित



अंचल अधिकारी
नामकुम।



अंचल अधिकारी
नामकुम।